आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
28/12/2021	**न्यायालय, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0 ए0 आर पुनरीक्षण वाद 51/2011** **नन्द किशोर मुण्डा बनाम महावीर साहु व अन्य ।** **आदेश** प्रश्नगत् पुनरीक्षण वाद खाता नं0–205 प्लॉट नं0–2334, रकबा–1.30 एकड़ ग्राम पुनदाग में अवस्थित भूमि वापसी के लिये दायर किया गया है। विशेष विनियम पदाधिकारी, राँची द्वारा भू–वापसी वाद संख्या 180/99–2000 पुनदाग मौजा के प्लॉट नं0–2334, 2477 तथा 2475 में अवस्थित 1.65 एकड़ भूमि का आवेदन खारीज कर दिया गया था। उपायुक्त न्यायालय द्वारा भूमि वापसी अपील 74 R 50/2009 में भी आवेदकों का अपील आवेदन खारीज कर दिया गया जिसके विरूद्ध यह पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है। आवेदकों का कथन है कि प्रश्नगत् भूमि उनकी खतियानी रैयती भूमि है जिसे वे वर्ष 1985 तक दखल में थे। उस वर्ष विपक्षी क्रमांक 1 के पिता जानकी साहु को यह भूमि अर्द्धबटाई के आधार पर दी गयी, विपक्षी द्वारा उसी समय से आवेदकों की भूमि पर दखल कर लिया गया। जब आवेदक प्रश्नगत् भूमि पर पुनः दखल का प्रयास किये, तो उन्हें रोका गया। जिसके कारण भूमि वापसी का दावा किया गया। निम्न न्यायालयों द्वारा प्रश्नगत् भू–वापसी वाद को कालबाधित बताया गया है। विपक्षीयों द्वारा 1936 में खतियानी रैयत के द्वारा इस्तीफा दिये जाने तथा भूमि भूतपूर्व जमीदार के दखल कब्जा में आने के पश्चात् 1945 में जगरनाथ महतो को सादा हुकुमनामा एवं लगान रसीद निर्गत किये जाने का दावा किया गया है। विपक्षीयों के द्वारा निम्न न्यायालयों में प्रश्नगत् भूमि के संबंध में अलग–अलग दावा किये गये है तथा फरजी दस्तावेज के आधार पर प्रश्नगत् भूमि को दखल किया गया है। खतियानी रैयत बूचा मुण्डा के मृत्यु के पश्चात् उनके एक मात्र पुत्र एतवा मुण्डा खाता नं0–205 के दखलकार हुए, जिनके चार पुत्र थे। वर्ष 1985–86 में प्लॉट नं0–2334 को अर्द्धबटाई के आधार पर किशुन साहु को दिया गया, जिनके	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

द्वारा उक्त भूमि कब्जा कर ली गयी। आवेदकों का दावा है कि निबंधित कबुलियत जो विपक्षीयों के तरफ से प्रस्तुत किया गया है, वो पुर्णतः फरजी एवं गलत है। इसी प्रकार 1936 में किया गया इस्तीफानामा भी तैयार किया गया है। जिस हुकुमनामा से बंदोबस्ती की गयी है, उसकी लिखावट एवं भाषा से यह स्पष्ट होता है कि यह सभी कागजात विपक्षीयों के द्वारा बाद में तैयार किये गये है। विपक्षीयों द्वारा प्रश्नगत् भूमि का दखल धारा–46 के विपरीत है एवं उक्त भूमि आदिवासी रैयती भूमि होने के कारण आवेदकों को वापस की जानी चाहिए।

विपक्षीयों के तरफ से कहा गया कि प्रश्नगत् भूमि खतियानी रैयत के द्वारा निबंधित इस्तीफानामा द्वारा भूतपूर्व जमीनदार कंदर्पनाथ शाहदेव को 1936 में सपुर्द कर दिया गया। कबुलियत पट्टा संख्या–6472 दिनांक 20.10.1943 के द्वारा प्रश्नगत् भूमि जगन्नाथ महतो के पक्ष में बंदोबस्त की गयी तथा पंजी–।। में उनके नाम से जमाबंदी भी कायम है। इस प्रकार विपक्षी प्रश्नगत् भूमि पर विपक्षी विगत 70 वर्षो से निर्विवाद दखलकार है। उक्त भूमि के अर्द्धबटाई अथवा अन्य द्वारा स्थानांतरण का कोई आधार नहीं है। वर्ष 1948 के पूर्व धारा–46 के अंतर्गत उपायुक्त के अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। प्रश्नगत् भूमि गैर आदिवासी जमीनदार के द्वारा एक अन्य सामान्य व्यक्ति को हस्तांतरित की गयी है। अतः इस मामले में भू–वापसी का दावा नहीं बनता है।

विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदशों एवं उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि जमीन का अंतरण निबंधित पट्टा द्वारा वर्ष 1936 में ही हो चुका है। पुनः वर्ष 1945 में निबंधित कबुलियत निष्पादित हुआ है। 1945 में भूतपूर्व जमीनदार द्वारा जगरनाथ महतो के नाम से इस जमीन को बंदोबस्ती किया गया। इस प्रकार यह भूमि विपक्षी के पूर्वजों के पास उसी समय से हस्तांतरित हुई। उक्त समय भूमि के अंतरण हेतु उपायुक्त की अनुमति आवश्यक नहीं थी, निम्न न्यायालय में स्वतंत्र गवाहों

[सूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।

से भी विपक्षीयों के प्रश्नगत् भूमि पर लम्बे समय से दखल की पुष्टि होती है। आवेदकों द्वारा विपक्षीयों के इस्तीफानामा कबुलियत को फर्जी दस्तावेज बताया गया है। किन्तु यह सभी दस्तावेज विधिवत् निबंधित दस्तावेज है। उन्हे मात्र फर्जी कहने से उनकी वैद्यता समाप्त नहीं हो सकती। आवेदकों के तरफ से भूमि वापसी का दावा वर्ष 2000 में किया गया, जबकि विपक्षी पश्नगत् भूमि पर 1945 से ही दखलकार है। विशेष विनियमन पदाधिकारी तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों की विस्तृत विवेचना करते हुए प्रश्नगत् मामलें को कालबाधित पाया है। यह विषय निश्चित रूप से कालबाधित है। आवेदकों की तरफ से इस पुनरीक्षण आवेदन में ऐसा कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे की निम्न नयायालय के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता हो वर्णित परिस्थिति में प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त

आयुक्त

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.07.21 15:58:20 +05:30
Location: 192.168.1.40